न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 75 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024 / 191

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
पदमाराम पुत्र अमराराम, जाति प्रजापत, निवासी–बड़सम, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर	उकाराम पुत्र अमराराम, वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 12.09.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की और से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह जुनेजा उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 04.08.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा बड़सम, पटवार हल्का–गोलसान, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातदेारी, कब्जा उपयोग के पुश्तैनी आराजी के खेत खसरा संख्या 617 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 618 रकबा 1.95 हैक्टेयर, खसरा नंबर 664 रकबा 2.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 665 रकबा 2.59 हैक्टेयर, खसरा नंबर 665/716 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 666 रकबा 3.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 667 रकबा 1.13 हैक्टेयर कुल रकबा 11.90 हैक्टेयर के आये हुए है। जिसमें प्रार्थी का 1/5 हिस्सा आया हुआ है। जिसमें प्रार्थी का मौके पर उक्त हिस्से अनुसार अलग कब्जाकाश्त है तथा माठे कायम है। प्रार्थी के बट हिस्से [illegible] मौके पर वर्षों पुरानी रहवासी ढ़ाणी, कुंए वगैरह स्थित है तथा प्रार्थी अपने [illegible] उपयोग उपभोग कदीमी से करता आ रहा है। उक्त आराजी [illegible] वादग्रस्त आराजी के नाम से उल्लेखित किया जायेगा। खातेदार सीता पत्नी अमरा फौत हो चुकी है, जिनके वारिस प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण है। वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आज से करीबन 10–12 साल पूर्व बहामी व भौतिक तौर से बंटवाड़ा हो चुका है। सुविधा के लिहाज से समझने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

लिए वाद पत्र के साथ नजरी नक्शा 'अ' में गुलाबी रंग से वर्णित प्रार्थी अलग कब्जे काश्त की आई हुई है। उपरोक्त आपसी सहमति से भौतिक रूप से किये गये बंटवाड़े अनुसार कदीमी से बिना रोक टोक खेती बाड़ी वादी करते आ रहे है लेकिन वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में संयुक्त दर्ज होने से प्रार्थी को किसान क्रेडिट कार्ड लेने, कृषि कनेक्शन लेने व अन्य सरकार अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उक्त सहमति बंटवाड़ा होने के पश्चात हम वादी से प्रतिवादीगण तमाम किसी पारिवारिक बात को लेकर नाराज हो गये, जिससे उक्त किये गये बंटवाड़े से इन्कार हो गया। जिसे राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद नहीं होने से दावा बंटवाड़ा हेतु न्यायाल में ठोस आधारों पर पेश किया जा चुका है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा की भूमि है जिसमें प्रत्येक कण कण में प्रार्थी का हक हिस्सा मौजूद है। आपसी पारिवारिक अनबन के कारण अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को अवैध व गेर कानूनी तरीके से किसी अजनबी व बदमाश व्यक्ति को बेचान, रहन, तर्क व दुर्व्ययन करनें, अवैध निर्माण करनें, उसे नुकशान पहुंचाने व अन्य तरीके से संक्रान्त किया जाकर कर वादग्रस्त भूमि में बल पूर्वक हिस्से से अधिक प्रवेश कर प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है तथा अनजबी व्यक्ति मौके पर संयुक्त खातेदारी में अच्छी से अच्छी, उपजाउ भूमि पर कब्जा करना चाहते है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी कब्जाकाश्त की भूमि सरहद मौजा बड़सम पटवार हल्का गोलासन के खेत खसरा संख्या 617 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नंबर 618 रकबा 1.95 हैक्टेयर, खसरा नंबर 664 रकबा 2.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 665 रकबा 2.59 हैक्टेयर, खसरा नंबर 665/716 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 666 रकबा 3.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 667 रकबा 1.13 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थीगण दखलंदाजी पैदा न करें, तथा संयुक्त भूमि पर विशेष भू भाग पर जबरन न ही कच्चा पक्का निर्माण करें तथा प्रार्थी को बेदखल नहीं करें तथा न ही बैचान, हस्तांतरण, रहन करें तथा उक्त कृत्य अप्रार्थीगण स्वयं करें एवं न ही अन्य किसी से करावें तथा वादग्रस्त आराजी की मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मूल वाद से अंतिम निस्तारण तक बनाये रखें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण सादिर फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचोर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सहखातेदार का जमीन में प्रत्येक हिस्से पर हक व अधिकार होता है। हम अप्रार्थीगण विवादित भूमि के सहखातेदार है। हम कानूनीय सहखातेदार के खिलाफ किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है। जिसके कारण प्रार्थी द्वारा पेश किया गया अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र काबिल खारिज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र गलत एवं मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज करने की कृपा करावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्णतयाः साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **04.08.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:26 IST
Reason: SelfAttested